संख्याः 6420/पी0एस0–मु0स0/2025

मुख्य सचिव

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड/
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांक : 23 जून,2025

महोदय,

आप भिज्ञ ही हैं कि राज्य सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति/वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास तथा उत्थान के लिये विभिन्न विभागों के माध्यम से जनोपयोगी/जन कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। इन कार्यक्रमों/योजनाओं का उददेश्य प्रत्येक नागरिक का हर दृष्टिकोण से विकास करना होता है। कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समाज के अंतिम छोर तक प्रशासनिक इकाईयां गठित की गयी हैं।

परन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनके अधिकारों को सुलभ कराये जाने एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ/उपयोग करने में आम जन–मानस को कई प्रशासनिक जटिलताओं एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ–साथ जन कल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन भी सरकार के अनुरूप कार्यान्वित नहीं हो पाता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनके अधिकारों को सुलभ कराये जाने एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ सुलभ कराने में आम जन–मानस को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जटिलताओं एवं कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े, इस हेतु अपने स्तर से अधीनरथ प्रशासनिक इकाईयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में भविष्य में शासन स्तर पर यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन) 23
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु प्रेषितः–

1– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव

871
25/6/25

उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष मार्ग, देहरादून, दूरभाष : (0135) 2712100, 2712200 फैक्स : 2712500
E-mail : cs-uttarakhand@nic.in, chiefsecyuk@gmail.com

उत्तराखण्ड अल्प संख्यक आयोग
देहरादून।
पत्र प्राप्ति सं0 150
दि० 03/07/2025

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण
तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।

2. निदेशक,
उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

3 सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

4 अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान
कलियर, रूड़की हरिद्वार।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण
अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 321/नि.अ.क./ विविध–780/ई. 102237/2025–26 दिनांक 3 ~~जून~~ जुलाई, 2025

विषयः– जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुलभ कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्याः–6420/पी0एस0–मु0स0/2025, दिनांक 23 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें(छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति/वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास तथा उत्थान के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से जनोपयोगी/जन कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। इन विभिन्न योजनाओं का लाभ सुलभ कराने में आम जन–मानस को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जटिलताओं एवं कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इस हेतु अपने स्तर से अधीनस्थ प्रशासनिक इकाईयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े निर्देश निर्गत किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23 जून, 2025 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajendra Kumar
Date: 02-07-2025
13:19:59

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

(जे० एस० रावत)
सचिव
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या 321 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मुख्य सचिव महोदय के पत्र संख्याः–6420/ पी0एस0–मु0स0/2025, दिनांक 23 जून, 2025 के